

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

कमलकिशोर

बनाम

बनाम्

प्रतिवादीगण

मदनलाल

रसम प्रकरण : स.वा.द


मुकदमा नं.-112 /2008

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।</p>
------------------------	--------------------------------------	--

13/2  
22

पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उप। प्रकरण प्रा.  
पत्र थारा 10 सीपीसी में विचारधीन है  
पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का इन्स्पेक्शन  
किया गया। पत्रावली से संबंधित अन्य  
प्रकरण अनवान मदनलाल बनाम सरकार  
मु.स. 354/2004 में दिनांक 25/4/2005  
को निर्णय पारित किया हुआ है। जिसकी  
अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील  
अधिकारी तथा वर्तमान में राजस्व मण्डल  
राजस्थान अजमेर में विचारधीन है। प्रकरण  
अपर न्यायालय में विचारधीन होने के  
उपरांत भी न्यायालय द्वारा उही स्वरूप  
नम्बर एवं अराजी हेतु वाद दायर होकर  
सुनवाई किया जाना थारा 10 सीपीसी के  
प्रावधानों के विपरित है।

अतः प्रार्थना प्रकरण थारा 10  
सीपीसी से वाञ्छित होने से सुनवाई किया  
जाना उचित नहीं होने से खारिज किया  
जाना है। मिसल नम्बर से कट होकर  
वाद आपरा कार्यवाही दारिखल दफ्तर है।

  
अजयक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल